

समाहरणालय, खगड़िया

(मद्य निषेध शाखा)

बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की निलामी की अति अल्पकालीन आम सूचना (सं० -04/2021-22)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जैसे वाहन जिन्हें बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 के तहत मद्य निषेध विभाग एवं थाना द्वारा जप्त किया तथा समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा राज्यसात किया गया है, की जंग लग कर खराब होने, क्षरण होने से राष्ट्रीय क्षति की संभावना है। ऐसे निम्नलिखित वाहन, जो जिला के विभिन्न थाना/उत्पाद मालखाना में संचित हैं, की "जहाँ है जैसा है" के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस हेतु गठित समिति के माध्यम से समाहरणालय सभा कक्ष में प्रत्येक माह के 15 वीं एवं 30 वीं तारीख तथा आवश्यकतानुसार अगले कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निलामी की जाएगी। वाहनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है-

क्र०	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	थाना /उत्पाद कांड संख्या	अधिहरण वाद संख्या	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	रक्षित मूल्य	संचय स्थल
1	मोटर सायकिल	chechis-OIL20F26480	611/17	121/17-18	2000	200	खगड़िया थाना
2	मोटर सायकिल	chechis-MELRG4516H0013533	793/17	135/17-18	6000	600	खगड़िया थाना
3	मोटर सायकिल	BR 34K-0192	365/17	102/17-18	9000	900	खगड़िया थाना
4	इंडिका	DL 3CAX-5134	149/17	02/17-18	35000	3500	खगड़िया थाना
5	टेम्पू	BR34P-2844	70/17	24/17-18	35000	3500	चौथम थाना
6	नाय	नाय	309/18	439/18-19	15000	1500	परबता थाना
7	सुमो विक्टा	WB 34Q-0337	170/17	003/18-19	45000	4500	महेशखेट थाना
8	रिक्शा	OLD	32/17	79/18-19	10000	1000	महेशखेट थाना
9	बोलेरो पिकअप	BR19B-4699	167/17	10/18-19	110000	11000	महेशखेट थाना
10	मैजिक वैन	BR11L-6513	164/18	457/19-20	35000	3500	महेशखेट थाना
11	स्विफ्ट डिजायर	chechis-MA3EJKDIS00885105XAG	148/17	82/17-18	110000	11000	मानसी थाना
12	ई-रिक्शा	OLD	45/18	30/18-19	5000	500	मानसी थाना
13	बोलेरो	JH 18A-2285	52/18	90/18-19	105000	10500	मानसी थाना
14	ई-रिक्शा	NOT AVAILABLE	131/17	157/17-18	5000	500	मोरकाही थाना
15	चारपहिया वाहन	BR 01 AN 8093	840/19	309/19-20	34000	3400	खगड़िया थाना
16	टाटा इंडिगो	WB 26 R 1248	95/19	57/19-20	48000	4800	गोगरी थाना
17	ट्रक	HR 68 -7204	62/19	301/19-20	471000	47100	पसराहा थाना
18	मोटर सायकिल	BR 34 B 7223	62/19	301/19-20	14000	1400	पसराहा थाना
19	कार	DL 2 FFE 0055	110/19	297/19-20	41000	4100	पसराहा थाना
20	मोटर सायकिल	Chechis no. -06H 160 1619	18/18	115/18-19	17000	1700	बेलदौर थाना
21	टोयोटा क्वालिस	DL 9CG 4614	40/18	452/18-19	71000	7100	बेलदौर थाना
22	हुंडई कार	BR 53 B 4554	222/17	08/17-18	35000	3500	खगड़िया थाना
23	मोटरसाइकिल	Chechis no.-D625CF17G3E58182	34/20	383/19-20	8000	800	परबता थाना
24	मोटरसाइकिल	Chechis no.- MO15ARQ3319G16744	34/20	383/19-20	9000	900	परबता थाना
25	टाटा 207	BR 11GB 6175	193/20	43/20-21	76000	7600	मानसी थाना
26	टाटा मैजिक	BR 10GA 8946	119/19	293/19-20	46000	4600	पसराहा थाना
27	मोटरसाइकिल	BR 34C 1135	68/20	20/20-21	16000	1600	मोरकाही थाना

निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर निलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। निलामी हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं-

- कोई भी इच्छुक व्यक्ति सूचीबद्ध सभी वाहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। परन्तु सभी वाहनों के लिए अलग-अलग आवेदन तथा सुरक्षित जमा की राशि आवेदक को जमा करनी होगी।
- न्यूनतम निर्धारित मूल्य (MFP) से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- वाहनों की निलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से की जाएगी अर्थात एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे वाहन की निलामी की जाएगी।
- निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वाहन के न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि जमा करने के पश्चात् ही निलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्रति वाहन अलग-अलग सुरक्षित राशि को बैंक ड्राफ्ट अथवा नाजीर रसीद के द्वारा निलामी की तिथि के पूर्व जमा करना होगा। निलामी के असफल व्यक्तियों को निलामी की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात् सुरक्षित जमा राशि वापस कर दिया जाएगा।
- आवेदन सीधे कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया में निलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक सुरक्षित राशि के साथ जमा किये जा सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र जिला के वेबसाइट khagaria.nic.in से डाउनलोड कर वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन

आवेदन Email ID-khagarla-excise@nic.in पर भी निलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक प्रेषित किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन की स्थिति में सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट निलामी की तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य ही कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया में जमा कर दिया जायगा अन्यथा उनका आवेदन निरस्त करते हुए शेष आवेदकों के साथ निलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।

6. निलामी की प्रक्रिया में सफल व्यक्ति को वाहन प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
7. निलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में नगद जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर द्वितीय/अगले उच्चतम बोली वाले व्यक्ति को सफल अंतिम व्यक्ति माना जाएगा।
8. निलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करो / अन्य सभी प्रकार की देय राशियों का भुगतान करना होगा। निलामीकर्ता किसी भी भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
9. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा राशि एकमुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके सुरक्षित राशि को जप्त कर ली जाएगी। इसके निर्णय हेतु निलामीकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
10. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा निलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत निलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11. निलामी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के नियोजित/सरकारी कर्मी/इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति भाग नहीं लेगे।
12. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन हस्तांतरित कराना होगा। निलामीकर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसके किसी भी बिन्दु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
13. अपने विवेक से बिना कारण बताए किसी भी समय निलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सभी वाहनों की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय निलामीकर्ता सुरक्षित रखता है, तथा यह निर्णय अंतिम होगा।
14. संबंधित वाहन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायालय से प्राप्त किसी आदेश की सूचना निलामी की निर्धारित तिथि से पूर्व दिवस तक विधि प्रशाखा, समारणालय, खगड़िया / कार्यालय, अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया को दे दिए जाने पर ही उसकी निलामी रोकने से सम्बन्धित आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। निलामी की तिथि अथवा उसके पश्चात् प्राप्त कोई भी दावा अमान्य होगा तथा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी कार्य दिवस में वाहन का भौतिक अवलोकन संबंधित संचय स्थल में किया जा सकता है, तथा विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक, मद्य निषेध, खगड़िया के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा khagarla.nic.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी,
खगड़िया।

जापांक 503 / म० नि०, खगड़िया, दिनांक 11.11.2021

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी,
खगड़िया।